शोध विमर्श

डॉ० संदीप कुमार पाण्डेय
डॉ० खुशेन्द्र चतुर्वेदी, डॉ० चन्द्रशेखर मिश्र

अस्वीकरण

समता प्रकाशन, कानपुर द्वारा प्रकाशित लेखों/शोध पत्रों में व्यक्त विचार योगदानकर्ताओं के अपने हैं। वे आवश्यक रूप से संपादक/प्रकाशक के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। संपादक/प्रकाशक इन लेखों/शोध पत्रों की सामग्री/पाठ से उत्पन्न किसी भी दायित्व के लिए किसी भी तरह से जिम्मेंदार नहीं हैं।

ISBN : 978-93-93403-98-8

प्रथम संस्करण : 10 दिसम्बर, 2025

पुस्तक : **शोध विमर्श**

संपादक : डॉ० संदीप कुमार पाण्डेय

सह संपादक : डॉ० खुशेन्द्र चतुर्वेदी, डॉ० चन्द्रशेखर मिश्र

प्रकाशक : **समता प्रकाशन**

बजरंगनगर, रूरा- कानपुर (देहात) 209303

Mob. : 9450139012, 7007749872

ई-मेल : samataprakashanrura@gmail.com

कॉपीराइट © : डॉ० संदीप कुमार पाण्डेय

मूल्य : **650/- (छः सौ पचास रुपये मात्र)**

शब्द-सज्जा : रुद्र ग्राफिक्स, हनुमन्त विहार, नौबस्ता, कानपुर-21

आवरण : गौरव शुक्ल, कानपुर

मुद्रक : सार्थक प्रेस, कानपुर

अनुक्रम

१. शोध व नैतिकता
डॉ० नवीन कुमार चौबे 11

२. बदलते परिवेश में आदिवासी ग्रामीण जीवन
डॉ० अर्चना बौद्ध 25

३. भारतीय समाज व भारतीय ज्ञान परंपरा
डॉ० अंजू सिंह 33

४. पर्यावरणीय प्रबन्धन
डॉ० भुपेन्द्र कौर 37

५. भारतीय ज्ञान परम्परा में स्त्री की प्रज्ञा : अध्यात्म से विज्ञान तक
डॉ० मौमिता वसु वर 45

६. मीमांसा
डॉ० सुधाकर किसन माटे 58

७. हिन्दी भाषा कौशल के विभिन्न परिप्रेक्ष्य
डॉ० वेदप्रकाश दुबे 75

८. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा के जुड़ते संदर्भ
डॉ० मैना दुबे 83

९. मानसिक मन्दता के कारण और उपचारात्मक विधियां
श्रुति सिंह 88

१०. डिजिटल युग में शोध की विश्वसनीयता व नैतिक संकट
डॉ0 हरीश कुमार पाण्डेय 94

११. भारतीय लोकतन्त्र में मीडिया की भूमिका व पक्षपात की समस्या
डॉ० वंदना तिवारी 102

१२. महिला सशक्तिकरण के प्रयास व जागरूकता : एक अध्ययन
डॉ० मनीषा आर्य 107

१३. ज्ञान परम्परा व समकालीन संदर्भ
डॉ० प्रदीप कुमार चौधरी 113

14. The Role of Popular Publications in Museum Visitor Engagement
Dr. Om Prakash Kumar, Dinesh Kumar Meena 117

15. Indian and Western Approaches to Metaphysics, Epistemology and Axiology: A Comparative Outlook
Om Prakash Tiwari 145

16. Urjit Patel: life and his Contribution
Jyoti 152

17. Rise of India's Soft Power in the Honorable Prime Minister Sh. Narendra Modi Era: Challenges and Prospects
Prof. Bhup Singh Gaur 166

18. Reseach Methedology
Roma Tandan 185

४

पर्यावरणीय प्रबन्धन

डॉ० भुपेन्द्र कौर
सहायक प्राध्यापक–शिक्षाशास्त्र विभाग
आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (यू.पी.)

पर्यावरणीय प्रबन्धन

पर्यावरण के लिए विभिन्न घटकों, पक्षों और क्रिया प्रणालियों के अध्ययन से विदित होता है कि वर्तमान समय में पर्यावरण अवनयन के कारण जैव जगत् को नैसर्गिक व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। फलतः पर्यावरणीय गुणवत्ता का ह्रास हुआ है। इसका प्रमुख कारण आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गति को तीव्र करने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अनुपयुक्त तकनीकी का उपयोग एवं ऊर्जा का अविवेकपूर्ण दुरूपयोग है। इन गतिविधियों से पर्यावरणीय विकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं। प्राकृतिक उपहारों को सहृदयता से स्वीकार कर उनको विवेकशील ढंग से उपयोग करने के स्थान पर मानव इन संसाधनों का अनुचित ढंग से दोहन करने की दौड़ में शामिल हो गया है जिसके घातक परिणाम प्राकृतिक प्रकोप, प्रदूषण, ओजोन गैस का क्षरण अम्लीय, वर्षा, कार्बन डाइ–आक्साइड की मात्रा वायुमण्डल में वृद्धि जैव–सम्पदा का ह्रास आदि के रूप में दिखाई दे रहा है।

आज मानव सभ्यता 21वीं सदी के प्रवेश द्वार पर खडी है तथा अगली सदी में अपने साथ आस–पास के ऐसे पर्यावरण के साथ प्रवेश करने जा रही है, जिसमें प्राणियों का जीवन अत्यन्त कष्टकारक होगा। अभी भी समय है यदि पृथ्वी ग्रह का मानव सभी भू–खण्डों पर पर्यावरण संवर्धन के प्रयासों में जुट जाये तो बढ़ते हुए पर्यावरण असंतुलन पर नियन्त्रण स्थापित कर सकता है। इसके लिए विश्व–स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के अभियान को एक लोकप्रिय जन आन्दोलन बनाना होगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन की संकल्पना यही है कि मानव एवं प्रकृति का विवेकपूर्ण समायोजन किस प्रकार हो जिससे भू–जीव रासायनिक चक्र तथा संबंधित प्रकृति अपने प्राकृतिक संतुलित तथा निरापद स्वरूप में अपनी अंतःक्रियाएँ करती रहे।

पर्यावरण प्रबन्धन का अर्थ

विकासोन्मुख मानव के क्रिया–कलापों ने प्राणियों तथा पर्यावरण के मधुर सम्बन्धों को विषाक्त कर दिया है। मानव तथा पर्यावरण के मध्य सम्बन्ध सुधार की प्रक्रिया ही पर्यावरण प्रबन्धन है।

पर्यावरण प्रबन्धन का मुख्य लक्ष्य है– मानवीय क्रियाओं को कम करना जो पर्यावरण को प्रभावित करती है अर्थात् प्रदूषित करती है। पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करती है तथा पारिस्थितिकी में असंतुलन उत्पन्न करती है। प्राकृतिक स्त्रोतों के दुरूपयोग को रोका जाए।

पर्यावरण प्रबन्धन के अन्तर्गत एक तरफ समाज के आर्थिक व सामाजिक विकास के प्रयास किये जाते हैं तो दूसरी तरफ पर्यावरण की गुणवत्ता के परिरक्षण तथा संरक्षण के प्रयास किये जाते हैं। वास्तव में विकास तथा पर्यावरण संरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सम्भव नहीं है। विकास की प्रक्रिया को भी नहीं रोका जा सकता है क्योंकि मानव प्रकृति से ही विकासशील प्राणी है। मानव सभ्यता का विकास भी हो तथा पर्यावरण की गुणवत्ता भी संरक्षित रहे इसके लिए मानव को प्रकृति के संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से विदोहन करते हुए संसाधनों के पुनर्चक्रण के उपाय करने होंगे तथा इससे मनुष्य एवं प्रकृति में सामंजस्य भी स्थापित होगा जिससे सभी कल्याण तथा हित होगा।

पर्यावरण प्रबन्धन की विशेषताएँ

1. पारिस्थितिक संतुलन तथा पारिस्थितिक तंत्र में स्थायित्व बनाये रखना जिससे मनुष्य तथा सभी जीवधारियों का कल्याण हो।
2. मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य स्वाभाविक से समायोजन रखना।
3. आर्थिक व सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बनाये रखना।
4. पारिस्थितिक सन्तुलन, पारिस्थितिक तन्त्र में स्थापित्व तथा आर्थिक व सामाजिक विकास को प्राथमिकता देना।

पर्यावरण प्रबन्धन के उददेश्य

1. प्राकृतिक संसाधनों क विदोहन तथा उपयोग को सीमित तथा नियन्त्रित करना।
2. अवक्रमिक पर्यावरण का पुनर्जनन करना तथा प्राकृतिक साधनों का नवीनीकरण करना।
3. पर्यावरण प्रदूषण को नियन्त्रित करना।

4. प्राकृतिक संसाधनों के एक बार उपयोग के बाद उत्पन्न अपशिष्टों के पुनर्चक्रण तथा पुनः प्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपभोग करना।
5. प्राकृतिक प्रकोपों के प्रभावों को कम करना।
6. योजनाओं तथा कार्यक्रमों का पर्यावरणीय दृष्टि से मूल्यांकन करना।
7. उत्पादन की वर्तमान प्रौद्योगिकी के उपयोग पर पुनर्विचार करना जिससे वह प्रदूषण मुक्त हो जाए।
8. पर्यावरण परीक्षण के लिए नियमों तथा कानूनों की व्यवस्था तथा उनका कड़ाई से पालन करना।

पर्यावरण प्रबन्धन के आधार

सम्पूर्ण पृथ्वी ग्रह मानव के लिए एक सम्पूर्ण पारिस्थितिक इकाई है। पृथ्वी के समस्त प्राकृतिक संसाधन वन, जल व खनिज आदि सीमित हैं। इन पर मानव जाति के अतिरिक्त अन्य प्राणियों का भी अधिकार है। किसी एक भू–भाग में रहने वाले विज्ञान तथा तकनीकी दृष्टि विकसित लोगों को यह अनैतिक चेष्टा है कि वे सम्पूर्ण धरती के प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करें या अपनी मनमानी से सम्पूर्ण पारिस्थितिक तन्त्र को असंतुलित बनाये। उदाहरण के लिए–विकसित देशों ने अधिक सी0एफ0सी0 गैसों को उत्पन्न किया है। इससे ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। ओजोन परत के अपक्षय से सम्पूर्ण दुनिया के प्राणी तथा वनस्पति समूहों के लिए खतरा पैदा हो गया है। फ्रांस, अमेरिका व इग्लैण्ड आदि देश विकासशील राष्ट्रों को परमाणु अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर रहे हैं किन्तु चीन और फ्रांस स्वयं परमाणु परीक्षण कर पारिस्थितिक तन्त्र को ध्वस्त करने में लगे हैं। विकसित देशों को निर्देश देने के पूर्व स्वयं उन्हें उन निर्देशों का पालन करना चाहिए जिनके पालन की अपेक्षा वे विकासशील देशों से करते हैं। पर्यावरण प्रबन्धन के लिए विश्वव्यापी दृष्टिकोण का विकास आवश्यक है। स्वामित्व स्वार्थ तथा विकास की स्पर्धा को छोड़कर चलना होगा।

पर्यावरण प्रबन्धन के प्रमुख आधार

1. मानव–जीवन और उसके विकास की गुणवत्ता में सामंजस्य बनाये रखने के लिए विविध विकल्पों पर विचार व अनुकूलतम विधि का चुनाव।
2. जैवमण्डल के संतुलन के लिए मनुष्य व प्रकृति के बीच सामंजस्यता स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है। अतः मानव जीवन को लम्बी अवधि तक, सुखामय एवं समृद्ध बनाये रखने के लिए सामाजिक–आर्थिक नीतियों का निर्धारण तथा जीवन पद्धति के मूल्यों को प्रकृतिपरक बनाना।

पर्यावरण प्रबन्धन की योजना

1. सम्पूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तन्त्र है। अतः विश्व व्यापी दृष्टिकोण से इसकी रक्षा व पालन करना चाहिए।
2. दुनिया की कोई भी वस्तु अनुपयोगी नहीं है। जिसे हम अनुपयोगी समझते हैं।
3. दीर्घकालिक विकास ही पारिस्थितिक दृष्टिकोण से विवेकपूर्ण विकास है।
4. पारिस्थितिक तन्त्र के अन्तर्गत सभी जैविक तथा अजैविक संघटक जैव भू–रसायन चक्रों द्वारा अन्तर्सम्बन्धित है।
5. प्राकृतिक संसाधनों जल, मृदा व खनिज आदि के निर्मित होने में लाखों वर्षो का समय लगता है।
6. जैव–जैवीय प्रक्रमों का भौतिक घटनाओं के साथ सम्बन्ध हो जाता है, तो प्राकृतिक प्रकोप तथा आपदाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
7. पर्यावरण के सभी जैविक तथा भौतिक तत्त्व आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं।
8. पारिस्थितिक तन्त्र की उत्पादकता, ऊर्जा की सुलभता तथा पौधों द्वारा उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की दक्षता पर निर्भर करती है।
9. पारिसिथतिक व तन्त्र में ऊर्जा प्रवाह ऊष्मा गतिकी के प्रथम तथा द्वितीय सिद्धान्तों पर आधारित होता है।
10. पारिस्थितिक तन्त्र की किसी एक कड़ी के विलप्त होने से पूर्व पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है।

पर्यावरण प्रबन्धन के उपागम

संसाधन प्रबंधन का अर्थ होता है–संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ताकि उनकी गुणवत्ता तथा उपलब्धता बनी रहे तथा विकास कार्य भी न रूके और पर्यावरण भी संतुलित वना रहे। पर्यावरण प्रवन्धन के मुख्य उपागम निम्नलिखित हैं–

1. **समग्रतावादी उपागम**–इसके अन्तर्गत संसाधनों के विदोहन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्त पारिस्थितिक समस्याओं पर विचार किया जाता है तथा उनके निदान के लिए प्रयास किये जाते हैं। इस उपागम के क्रियान्वयन में काफी धन तथा समय व्यय होता है।
2. **एकल उपागम**–इसके अन्तर्गत पारिस्थितिक समस्याओं पर आंशिक रूप से तथा अल्पकाल के लिए चिन्तन तथा समाधान किये जाते हैं।
3. **अनुरक्षणात्मक**–अनुरक्षणात्मक का अर्थ है पर्यावरण के प्राकृतिक, भू–भौतिक व जीव रासायनिक चक्र के साथ अनुकूलन करना तथा उसमें सम्मिलित रहना। इस पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार की छेडछाड़ न करना।

4. **संरक्षणात्मक**–संरक्षण का अर्थ पूर्ण वस्तु को संरक्षित करना अथवा उसी प्रकार की वस्तुओं को बना और पूर्व वस्तु की कमी को पूरा करते रहना दोनों ही हो सकता है।

पर्यावरण प्रबन्धन के प्रमुख आयाम

1. भूमि संसाधन–भूमि की उपजाऊ पर्त का संरक्षण।
2. जल संसाधनों का संरक्षण तथा वर्द्धन।
3. वन संसाधनों का संरक्षण तथा वर्द्धन।
4. प्रदूषण को रोकना तथा उसका प्रभावी नियन्त्रण।
5. गैर–परम्परागत ऊर्जा संसाधनों का विकास।
6. विभिन्न जीव जातियों का संरक्षण।

प्रदूषण नियन्त्रण प्रबन्धन एवं नागरिकों की भूमिका

प्रदूषण नियन्त्रण की दृष्टि से नागरिको की भूमिका अहम है और इनके योगदान का प्रभाव न केवल समुदाय, शहर, राज्य आदि राष्ट्र के सामने आएगा, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जाएगा। समस्त मानव सभ्यता जो धरती पर निवास करती है कि जिम्मेदारी है कि वे अपने आवास आस–पास के जीव–जन्तु व वनस्पति की रक्षा करें। इस ओर उठाया गया एक कदम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सार्थक पहल होगी। संक्षेप में यह कदम अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होगा। आवश्यकता है कि हमारी जीवन–शैली पर्यावरण के हित में हो–

1. प्रदूषण–मुक्त उत्पादन पर जोर दिया जाए। सी0एफ0सी0 के उत्पादन में कमी लाई जाए।
2. रेफ्रीजरेटर और वातानुकूलन यंत्र में सी0एफ0सी0 का प्रयोग न हो। वायु–प्रदूषण नियन्त्रण के लिए स्वच्छ ईधन जैसे–हाइड्रोजन को अपनाया जाए। हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग हो।
3. जीवाश्म ईधन पर निर्भरता कम हो। बिजली की बचत की जाए। गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग पर बल दिया जाए। अपशिष्ट का पुनप्रयोग और पुनर्चक्रण।
4. यातायात के लिए सामुदायिक साधनों का प्रयोग हो।
5. कृषि के लिए उचित मात्रा में रसायन और उर्वरकों का प्रयोग हो। अपेक्षाकृत कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग हो।
6. साबुन और अपमार्जन आदि के निर्माण में फॉस्फेट का प्रयोग न्यूनतम हो।
7. रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग हो।

8. घातक रसायनों, विलायकों व तेल आदि का नदियों में विसर्जन न हो।
9. विभिन्न क्रिया–कलापों में जल का उपयोग न्यूनतम हो। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगे।

पर्यावरण मंत्रालय

भारत में प्रशासनिक तौर पर वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण एवं संवर्धन का समस्त दायित्व राज्य सरकार व केन्द्र के अधीन है लेकिन नीति–निर्धारण एवं इन्हें समस्त देश में लागू करने की उदघोषणा कर कार्यक्रम को अन्तिम रूप देना, भारत सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय का काम है, वन्य जीवों की दशा में सुधार के लिए हमारे देश में वन्य जीव प्रबन्ध और वन विकास के संयुक्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरणीय और वानिकी कार्यक्रमों के नियोजन प्रोन्नति और समन्वय के लिए केन्द्रीय सरकार का प्रशासनिक संरचना में केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्यरत है। मंत्रिमण्डल की मुख्य क्रियाएँ, वनस्पति जगत्, प्राणी जगत्, वन और वन्य जीवन का सर्वेक्षण प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण, वनरोपण और पर्यावरण के निम्नीकृत क्षेत्रों का पुनरूद्भवन करना है।

पर्यावरण मंत्रालय के प्रमुख कार्य

1. पर्यावरण और पारिस्थितिकी तटीय जल में ग्रोव एवं प्रवाल भित्ति के पर्यावरण सहित किन्तु उच्च समुद्रों में समुद्रीय पर्यावरण नहीं।
2. भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान एवं वानस्पति उद्यान।
3. भारतीय प्राणि–विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान।
4. नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री।
5. जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियन्त्रण) सैस ऐक्ट 1977।
6. वायु–प्रदूषण की रोकथाम एवं नियन्त्रण ऐक्ट 1981।
7. भारतीय वन ऐक्ट।
8. राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल ऐक्ट 1995।
9. वन्य जीव (रक्षण) ऐक्ट 1972।
10. वन (संरक्षण) ऐक्ट 1980।
11. पर्यावरण (रक्षण) ऐक्ट 1986।
12. पब्लिक लायबिलिटी इन्श्योरेन्स ऐक्ट 1991।
13. जैवमण्डल आरक्षित कार्यक्रम।
14. राष्ट्रीय वन पॉलिसी तथा वनों एवं प्रशासन से सम्बन्धित सभी मामले (अण्डमान व निकोबार महाद्वीप के सन्दर्भ में।

15. भारतीय वन सेवाएँ।
16. वन्य जीवन परिक्षण तथा जंगली चिड़िया एवं प्राणियों का रक्षण।
17. केन्द्रीय जू प्राधिकरण।
18. आधारभूत शोध उच्च शिक्षा का वानिकी में समन्वय सहित।
19. पटाजा नायडू हिमालय प्राणी उपवन।
20. वानिकी विकास परियोजनाओं को राष्ट्रीय सहायता।
21. केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण।
22. केन्द्रीय पर्यावरण एपीलेट प्राधिकरण ऐक्ट 1997।
23. भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलुरू।
24. भारत वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून।
25. राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकीय विकास परिषद्।
26. मरूस्थल एवं मरूस्थलीकरण।

पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्रालय

पर्यावरण समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए भारत सरकार ने 1985 में प्रथम पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्रालय स्थापित किये। इस मंत्रालय को अधोलिखित दायित्व सौपे गये हैं–

1. पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन।
2. पर्यावरणीय समस्याओं पर संगोष्ठियों का आयोजन।
3. पर्यावरणीय शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था।
4. पर्यावरण से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान।
5. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सूचनाओं का आदान–प्रदान।
6. वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अभयारण्यों की व्यवस्था।
7. पर्यावरणीय जागरूकता का प्रचार व प्रसार।
8. वनों का संरक्षण तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन।
9. भूमि संरक्षण की योजनाएँ व कार्यक्रम एवं उनका कार्यान्वयन।
10. वायु, जल व ध्वनि–प्रदूषण को नियन्त्रित करने वाले यान्त्रिक साधनों के आविष्कार को प्रोत्साहन।
11. भारत वानस्पति सर्वेक्षण।
12. जल–प्रदूषण नियन्त्रण की परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
13. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण।
14. वायु व ध्वनि–प्रदूषण नियन्त्रण के प्रभाव।
15. बंजर भूमि का विकास करना।

16. भारतीय वन सेवा।
17. पर्यावरण संवर्धन के लिए कार्यरत स्वयंसेवी समस्याओं की आर्थिक व तकनीकी सहायता।

सन्दर्भ

- सक्सेना ए0 बी0 (डॉ), (1998) : पर्यावरण शिक्षा आर्य बुक डिपो, 30, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली।
- चौरसिया आर0 ए0, (2000) : पर्यावरण शिक्षा के मूल तत्व, साहित्य प्रकाशत, आगरा।
- 'वत्स' मिश्रा सन्ध्या (डॉ), (2012) : पर्यावरण शिक्षा (वर्तमान समय की आवश्यक आवश्यकता) आर0 लाल बुक डिपो।
- रूहेला, सत्पाल (डॉ), (2012): विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
- आजाद कुमार राकेश (डॉ), गीता (2013) : पर्यावरणीय अध्ययन, आर लाल बुक डिपो मेरठ।
- भटनागर ए0 बी0 (डॉ), भटनागर अनुराग (डॉ), भटनागर नीरू (डॉ) : पर्यावरण शिक्षा, आर लाल बुक डिपो मेरठ।

परिचय

डॉ. मयुर वी. भम्मर (GES Class-II) "कृष्णार्पण"
(एम.ए., एम.फिल., बी.एड., पीएच.डी., GSET)
संपर्क: 8200602526

डॉ. मयुर वी. भम्मर वर्तमान में *शासकीय कला महाविद्यालय, राणावाव, पोरबंदर (गुजरात)* के मनोविज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पूर्व उन्होंने *डी.बी. हाईस्कूल, पलसाणा, सूरत* में मनोविज्ञान विषय के शिक्षक के रूप में ९ वर्षों तक कार्य किया है।

मनोविज्ञान विषय एवं शोध कार्य में उनकी गहरी रुचि है। उन्हें पढ़ने का अत्यधिक शौक है, और लेखन कार्य उनकी विशिष्टता है। शांत स्वभाव और उत्कृष्ट लेखन कौशल के कारण उनकी कई रचनाएँ अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में उनकी रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कई रचनाएँ *प्रतिलिपि* और *मातृभारती* जैसे मंचों पर भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले ४०० से अधिक व्यक्तियों का परिचयात्मक लेखन किया है, जो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ है। डॉ. भम्मर ने कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिसंवादों तथा शोध-पत्रिकाओं (जर्नल्स) में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। साथ ही, उन्होंने ३० से अधिक पुस्तकों में अध्यायों के रूप में शोध आलेख भी लिखे हैं।

- **सम्मान एवं पुरस्कार:**

लेखन कार्य की सराहना स्वरूप *मातृभारती* द्वारा उन्हें **"मातृभारती रीडर्स चॉइस अवॉर्ड-२०१९"** से सम्मानित किया गया है। उनके उत्कृष्ट शोध कार्य हेतु उन्हें ***मनोविज्ञान भवन, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट*** एवं ***मनोविज्ञान अध्ययन समिति, भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय, जूनागढ़*** द्वारा **"भक्त कवि नरसिंह मेहता पुरस्कार"** से भी सम्मानित किया गया है।

- **लेखक की लेखन-यात्रा की झलक:**

- सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान
- व्यक्तिगत समायोजन का मनोविज्ञान
- किशोरों का मनोविज्ञान
- सामान्य मनोविज्ञान
- बाल व्यवहार का मनोविज्ञान
- जैविक मनोविज्ञान
- बचपन और बाल मनोविज्ञान
- मूलभूत मनोवैज्ञानिक अवधारणाएँ
- मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ
- जीवन अवधि मनोविज्ञान
- परामर्श मनोविज्ञान
- विवाह का मनोविज्ञान

जे.टी.एस. पब्लिकेशन
बी–508 गली नं.17,विजय पार्क,दिल्ली –110053
मो. 08527460252,9990236819
ई मेल : jtspublications@gmail.com
ब्रांच ऑफिस : ए-9 नवीन इनक्लेव गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश, पिन -201102

मूल्य : १५००.०० रूपये
ISBN 978-93-49496-35-4